पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65

मांग संख्या – 39, 26 एवं 31 से संबंधित

भाग - तीन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**श्री भूपेश बघेल**	1	सामान्य प्रशासन	**2 घंटे 30 मिनट**
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
		65	विमानन विभाग	
2.	**श्री अमरजीत भगत**	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
3. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

मांग संख्या– 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 5,19,82,55,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 1

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोकपाल में मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों को शामिल किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) कोविड काल कें दौरान मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) राज्य के प्रशासकीय व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में रिक्त पदों के भर्ती हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में मितव्ययिता किये जाने संबंधी कोई विभागीय कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

(2) लोकसेवा आयोग में गड़बडियों को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

(3) एक लाख पदों पर शासकीय विभागों में भर्ती का उल्लेख नही है।

(4) जाति प्रमाणपत्र सरलीकरण का उल्लेख नही है।

(5) समयमान–वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नही है।

(6) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

(8) अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

(9) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) कोविडकाल में मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है।

(11) लोकपाल गठन का उल्लेख नहीं है।

(12) आऊट–सोर्सिग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

(13) भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही हेतु ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(14) नक्सल हिंसा प्रभावित कोटवार परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(15) अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण का उल्लेख नहीं है।

(16) नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

(17) 7वें वेतनमान का बकाया व महंगाई भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(18) मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(19) प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियमित तौर पर स्थानांतरण होते रहे, इसकी कोई योजना का पालन करने का प्रावधान नहीं ।

(20) शांति नगर, रायपुर स्थित शासकीय आवासों को खाली कराने से पूर्व शासकीय अधिकारियों /कर्मचारियों का व्यवस्थापन करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कर्मचारियों के चार स्तरीय वेतनमान का उल्लेख नहीं है।

(2) अनियमित कर्मचारियों को नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय का उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिविल सेवा सदस्यों को निश्चित समयावधि की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी समयमान वेतनमान का लाभ दिलाये जाने हेतु कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

(2) लोकपाल में मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

(3) अनियमित,संविदा, दै.वे.भो. को नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(5) संविदाभर्ती कर्मियों के नियत वेतनमान में वृद्धि हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(6) बिल्हा में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) वीरतापूर्ण कार्यो के लिये आर्थिक सहायता व अनुदान में वृद्धि का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(8) दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र हेतु मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण में कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(10) शासकीय सेवकों का सम्मान अंतर्गत पारितोषिक राशि/वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(11) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम में कोई नया प्रावधान नहीं है।

(12) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान पेंशन योजना में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) मानव अधिकार आयोग के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) कर्मचारियों का 10% महंगाई भत्ता का प्रावधान नहीं है।

(3) लोक सेवको के प्रशिक्षण पर पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) लोक सेवा आयोग भर्ती प्रतिवर्ष कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) लोकपाल बिल का प्रावधान नहीं है।

(6) तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के भर्ती का प्रावधान नहीं है।

(7) शासकीय कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(8) आऊट सोर्सिंग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

(9) अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षक LB का प्रावधान नहीं है।

(10) शासकीय कर्मचारियों को प्रेत्साहित करने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(11) सभी कर्मचारियों हेतु शासकीय आवास का प्रावधान नहीं है।

(12) चार स्तरीय वेतनमान का प्रावधान नहीं है।

(13) चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रावधान नहीं है।

(14) लोकपाल मे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को लाने का प्रावधान नहीं है।

(15) विशेष सुरक्षा कानून बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(16) लोकसवा अधिकारियों के कार्यो में पारदर्शिता लाने का प्रावधान नहीं है।

(17) विभागीय जांचो में तीव्रता लाने का उल्लेख नहीं है।

(18) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भत्ते बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आऊटसोर्सिंग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्लेसमेंट कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने एवं नियमित करने उल्लेख नहीं है।

(3) बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

(4) संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(5) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(6) अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(7) जैजैपुर में अनुविभाग कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

संविदा, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य कर्मचारियों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार एच.आर.ए. देने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 02

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 4,31,70,08,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 01

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) शासकीय सेवकों के नवीन आवास निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) पुराने शासकीय आवासों के मरम्मत हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) दुर्घटना मुत्यु में सहायता राशि 50 लाख करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा अनुदान का उल्लेख नहीं है।

   (3) सभी जिलों में सत्कार अधिकारी कार्यालयों में पर्याप्त सत्कार राशि का उल्लेख नहीं है।

   (4) सभी विकासखंडो में राज्य स्थापना दिवस मनाने राशि का प्रावधान नहीं है।

   (5) शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति में पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 06

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि — रूपये 75,58,23,16,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 04

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश शासन के ऊपर बढ़ रहे ऋण को कम करने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राज्य योजना आयोग हेतु पर्याप्त राशि उल्लेख नहीं है।

(3) अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(4) शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं एच.आर.ए. प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के विभिन्न विभागों में मंहगी–मंहगी गाड़िया खरीदी जा रही हैं, वित्तीय अनुशासन अपनाये जाने हेतु कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन परियोजना का प्रावधानिक बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण की राशि अपर्याप्त है।

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए गये ऋणों पर ब्याज प्रावधानिक बजट से कम है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय कर्मचारियों के समूह बीमा योजना में राशि वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय कर्मचारियों की उपादान की राशि में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) एनपीएस से ओपीएस में आये कर्मचारियों का महालेखाकार कार्यालय से खाते खुलवाने का उल्लेख नहीं है।

(4) समयमान वेतनमान लाभ, सेवा अवधि पूर्ण होने पर तत्काल प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

(5) बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2019 से समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को रूपये 2500 प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

(6) किसानों के दीर्घकालिक ऋण माफी हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(7) सातवें वेतन की बची शेष किश्तों के भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) चिटफंड पीड़ितों को राशि वापसी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(9) वित्तीय घाटा को कम किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(10) प्रदेश में बढ़ रहे ऋण को शीघ्र कम किये जाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अधोसंरचना विकास हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सकल वित्तीय घाटा कम करने का उल्लेख नहीं है।

(3) सभी चिटफंड पीड़ितों का पैसा वापसी का प्रावधान नहीं है।

(4) राज्य योजना आयोग का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के ऋण का बोझ कम करने विशेष वित्तीय प्रबंधन का प्रावधान नहीं है।

(6) भाटापारा तथा सिमगा में नवीन कोषालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित नहीं है।

(8) सहकारी संस्थाओं को ऋण से मुक्त कराने का प्रावधान नहीं है।

(9) सभी विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन हावी है।

(10) भविष्य निधि पर ब्याज बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

(11) ऋणों के ब्याज अदायगी हेतु विशेष कार्यों/योजनाओं का अभाव है।

(12) विद्युत कंपनियों को पर्याप्त वित्त का आवंटन का उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में चिटफंड पीड़ितों का पैसा वापसी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अधोसंरचना विकास के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 60

जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,08,65,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जिले में अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) जिला योजना सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जिला स्तर पर हानि वाली परियोजनाओं को बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) जिला स्तर पर नवीन योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
   (3) जिला योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) नवीन जिलों में नवीन परियोजना निर्माण का अभाव है।
   (5) जिला स्तर पर परियोजनाओं के कियान्वयन पर निगरानी की व्यवस्था नहीं है।
   (6) जिला योजना के मूल्यांकन और अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 34,57,28,49,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 13

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) व्यापार एवं उद्योगों हेतु रियायत दर पर बिजली प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के निराकरण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) बिजली पारेषण में हो रहे व्यय को रोकने हेतु कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती एवं लो. वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के किसानों को पंप कनेक्शन एवं निःशुल्क बिजली प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बढ़ी हुई बिजली दरों को कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा में जर्जर पुराने तारों को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मुंगेली विधानसभा के गांवों में पूर्ण विद्युतीकरण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वस्तुओं और सेवाओं पर कर और शुल्क कम किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) 5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–दगौरी विकासखण्ड बिल्हा जिला–बिलासपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बिजली उपभोक्ताओं का देयक पूर्ण आधा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) पम्प कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली प्रदाय का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों को लो–वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विद्युत कंपनियों के गलत प्रबंधन/नीतियों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कम विद्युत खपत आने वाले उपकरणों को उपयोग में लाने की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

(3) विद्यमान संयंत्रों और उद्योगों की क्षमता उन्नयन हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) सौभाग्य योजना को सुचारू क्रियान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) भाटापारा, सिमगा में 33/11 के.व्ही. नवीन सब स्टेशन का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) छोटे उद्योगों के बिजली बिल माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) विद्युत कंपनियों में हो रहे हानि दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) बिजली पारेषण व्यय रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) किसानों के सभी टी.सी. कनेक्शनों को रेगुलर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) ग्रामों में लोड शेडिंग दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) उद्योगों के बकाया बिजली बिलों की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(13) पंप कनेक्शन हेतु 100 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) भाटापारा के मिलों के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(15) एकल बत्ती बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(16) बंद पड़े ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्लांटो को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) सौर ऊर्जा हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) ट्यूबवेल के लंबित आवेदनों को समय–सीमा में निराकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर शहर के विद्युत तारों को अंडर ग्राउंड करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर हाई मास्क लाईट लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) लंबित कृषि पंप के ऊर्जीकरण के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत किसानों को निरंतर कटौती रहित बिजली आपूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत कृषि हेतु किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 6,54,17,21,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 12

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खानों का विनियमन और विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कोयला माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में डी.एम.एफ. की राशि का दुरूपयोग रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) रेत माफियाओं पर कार्यवाही एवं अवैध रेत उत्खनन रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(5) अवैध खनिज एवं रेत के परिवहन को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रेत माफिया के खिलाफ नियंत्रण की कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) भारत भवन के तर्ज पर 4 भारत भवन केन्द्र के लिए बजट का उल्लेख नहीं है।

(3) कोयला माफिया के खिलाफ कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) लघु खनिजों के चोरी रोकने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अवैध खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा में खनिज मद से विकास कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिज क्षेत्र विकास निधि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) यात्रा भत्ते दौरे आदि पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों के विकास की कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कोयला माफिया राज से प्रदेश को मुक्त कराने कोई कार्ययोजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) विधानसभा बिल्हा अंतर्गत खनिज पट्टे स्थानीय निवासी को प्रदाय कर रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में रेत माफिया द्वारा अवैध खनन को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

.

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व को पंचायतों को बजट में राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में रेत माफियाओं पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) कोयला माफिया से मुक्ति दिलाने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) रेत माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) खनिज पट्टो को स्थानीय निवासियों को देकर रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सभी खनिजों को खनिज विकास निगम के माध्यम से संचालित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के खनिज संसाधनों के दोहन/उत्खनन निजी में बदलाव लाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) रेत के मंहगी दरों को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) खनिज न्यास निधी के दुरूपयोग को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) खनिज फंड का नियमानुसार उपयोग करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) गौण खनिज के राशि का उचित उपयोग करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) खनिज के अन्वेषण और विकास के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(13) सभी का बिजली बिल हॉफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) प्रदेश के सभी किसानों को पंप कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(15) भाटापारा विद्युत कार्यालय में अतिरिक्त (200 केव्ही, 100 केव्ही) ट्रांसफार्मर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(16) सभी मजरा टोलों मे बिजली पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) सभी ग्रामों में सोलर ऊर्जा वाले लाईटों को लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) बिजली चोरी रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के रेतघाटों से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे है इसकी रोकथाम के लिए किसी भी कार्ययोजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज के उचित दोहन के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत संचालित सीमेंट संयंत्रों के खानों में हो रहे अवैध खनन की जांच का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 5,99,37,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 24

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन देने में हो रहे भेदभाव को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रचार–प्रसार में किये जा रहे अत्यधिक खर्च में कटौती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) गलत एवं फर्जी समाचारों को रोकने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जनसंपर्क विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पत्रकारों की सुरक्षा हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गलत फर्जी समाचार को रोकने के उपायों/योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पत्रकार सम्मान निधि को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विशेष अवसरों पर प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

(2) विज्ञापन और प्रचार–प्रसार व्यय में मितव्ययता का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) आदिवासी अंचलों में जनसंपर्क हेतु नये कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) डिजिटल एवं शोसल मिडिया के होने वाले नुकसान/ठगी पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

(5) संचार क्रांति में तीव्रता लाने ग्राम पंचायतों में प्रचार और प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) समाचार पत्रों के विश्वसनीयता जांच हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) आधुनिक संचार प्रणाली में तेजी लाने हेतु प्रयास का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) पत्रकार सम्मान राशि को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(9) सभी विभागों के योजनाओं का ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) संचार क्रांति हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि **रूपये 1,46,82,68,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 43

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में आई. टी. एवं सॉफ्टवेयर पार्क के स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हेतु आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) प्रदेश के समस्त शहरों को वाई–फाई योजना का लाभ प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना हेतु बजट में कमी है।
   (2) सूचना प्रौद्योगिकी के लिये प्रावधानिक बजट कम है।
   (3) संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) नवीन आई.टी. पार्क नवा रायपुर में स्थापना हेतु कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) भिलाई में सॉफ्टवेयर पार्क/आई.टी. पार्क की स्थापना हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) विभाग में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नगरों में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोड़ेगांव (रैयत) एवं अमलीडीह मोबाईल नेटवर्क लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि **रूपये 1,28,00,96,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बिलासपुर हवाई अड्डे में सुविधा के विस्तार हेतु कार्य योजना एवं पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश के छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्यों के प्रमुख शहरों के लिये नियमित हवाई सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नगर विमानन पर परिव्यय में कमी है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बिलासपुर में नाईट लैंडिंग हेतु पर्याप्त प्रावधान/राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) जिला रायगढ़ में हवाई पट्टी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के सभी नगरों से विमान सेवा की उपलब्धता कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) विमानन विभाग में संचालन और विकास हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) हवाई एंबुलेंस सेवा के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) जशपुर जिला में विमानन सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) विमानन संचालनालय के सभी रिक्त पदों के पूर्ति का प्रावधान नहीं है।

   (6) हवाई पट्टियों के निर्माण और विस्तार हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (7) बिलासपुर में नाईट लैडिंग सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

   (8) रायपुर विमानतल में टर्मिनल बढ़ाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बलौदाबाजार जिला में विमानन सेवा शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 30,64,06,14,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों (उचित मूल्य की दुकान) में हो रही राशन की काला बाजारी को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पूरे प्रदेश में गुड़ वितरण योजना को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खाद्य विभाग नियमित तौर पर खाद्यन्नों की गुणवत्ता एवं नाप तौल का परीक्षण करने हेतु सक्रिय रहने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में क्रेडिट कार्ड के व्यापक प्रचलन में आने के कारण क्रेडिट संबंधी मामलों के निपटारे के लिये विशेष सेल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की आजादी, डिजिटल लेन–देन होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये, उपभोक्ता फोरम में शीघ्र निराकरण हेतु सशक्त बनाये जाने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) खाद्य सुरक्षा अभियान के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता राशि बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) निःशुल्क गैस सिलेण्डर प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खाद्य प्रदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु कारगर योजना व पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) धान खरीदी केन्द्रों में रख–रखाव व स्वच्छता हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) कस्टम मिलिंग की राशि का समय पर भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।

(6) उपभोक्ता संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) खाद्य विभाग हेतु प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं है।

(8) फर्जी राशन कार्डो के सत्यापन के योजना का उल्लेख नहीं है।

(9) जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) भाटापारा और सिमगा में राशन दुकान सह गोदाम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) प्रत्येक परिवार को 1 रू. में 35 किलो चांवल देने का उल्लेख नहीं है।

(13) प्रदेश की खाद्य नीति में सुधार करने का उल्लेख नहीं है।

(14) धान के भण्डारण तथा बारिश से सुरक्षा हेतु सुधारों का उल्लेख नहीं है।

(15) सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम भवनों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(16) प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान गोदाम निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) शक्कर, दाल, गुड़, तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में नई राशन दुकान खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में दुकान सह गोदाम निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में खाद्य सामग्री के बढ़ते हुये मूल्य पर नियंत्रण को उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में फर्जी राशन कार्डो के सत्यापन कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,13,44,63,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोक कलाकारो हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कला और सांस्कृति कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला मुख्यालयों में सांस्कृतिक केन्द्र बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय अपर्याप्त है।

(2) मेला उत्सव, प्रदर्शनी हेतु बजट कम है।

(3) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर बजट अपर्याप्त है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्थानीय लोक कलाकारों हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम मुण्डादेवा पथरिया जिला मुंगेली में आदिवासी सांस्कृतिक मंच में छज्जा युक्त निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति संवर्ग के कला संस्कृति को बढ़ाने प्रभावी राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कबीर पंथीयों के आस्था स्थल दामाखेड़ा को विकसित करने हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) छत्तीसगढ़ शिक्षा/संस्कृति हेतु प्राथमिक स्तर से पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(4) पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा क्षेत्र के वर्षो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) बिलासपुर, बलौदाबाजार में पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) संगीत की दुर्लभ शैलियों और वाद्यों हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(8) छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी को निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) लोक कलाकारों को दिया जाने वाला मानदेय वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश के कलाकारों को सम्मान देने में सरकार असफल रही सम्मान हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(11) सभी ग्रामों में देवगुड़ी गौरा गुड़ी निर्माण हेतु अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्रीमती रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटे श्रीवास्तव जी की जीवनी को संरक्षित करने गौरव ग्राम कणेल में संग्रहालय निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में लोक कलाकारों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत बलौदाबाजार में संस्कृति भवन संग्रहालय के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 62,02,87,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नवाचारो हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) जनगणना एवं सांख्यिकी सर्वेक्षण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अन्य सामान्य अर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जन्म व मृत्यु संबंधी जानकारी व आंकड़ो को ऑन लाईन करने का कोई उल्लेख नहीं है।